

क्रमांक .....8122.....F-11/FFC/MPTB/2025

भोपाल, दिनांक .....17../12/2025

## आदेश

मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ TD/2/0005/2025/तेँतीस, भोपाल दिनांक 18/02/2025 द्वारा म.प्र. फिल्म पर्यटन नीति 2025 जारी की गई है, जिसकी कंडिका 6.3.5 में 'फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फिल्म पर्यटन नीति 2025 से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, नियम, प्रक्रिया, मापदण्ड, प्रपत्र एवं अनुबंध इत्यादि जो कि नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हों, को निर्धारित/लागू करने हेतु प्राधिकृत होगा।' के तहत प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत दिनांक 23/04/2025 को फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के निर्णय अनुसार नवीन म.प्र. फिल्म पर्यटन नीति 2025 हेतु जारी दिशा निर्देशों में "ओटीटी पर प्रदर्शित होने वाली वेबसीरीज/ ओरिजिनल शो एवं फीचर फिल्मों के अनुदान हेतु नियम के बिन्दु क्रमांक 6 में - वेबसीरीज एवं फीचर फिल्म निम्न किसी भी ओटीटी पर रिलीज की गई हो,

- Netflix,
- Jio Hotstar,
- Zee 5,
- Sony Liv
- Amazon prime/Prime Videos

में 'WAVES' ओटीटी को भी शामिल किया जाता है।

यह आदेश FFC की बैठक क्रमांक 14 दिनांक 04/12/2025 के एजेंडा क्रमांक 06 में लिये गये निर्णय अनुसार जारी किया जाता है।

(शिव शेखर शुक्ला)  
प्रबंध संचालक

पृ.क्रमांक .....8123..... F-11/FFC/MPTB/2025

भोपाल, दिनांक .....17../12/2025

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, पर्यटन, मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल।
4. जिला कलेक्टर, समस्त मध्य प्रदेश।
5. समस्त सदस्य फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड, भोपाल।
6. सदस्य सचिव, फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड, भोपाल।
7. आदेश पंजी।

(शिव शेखर शुक्ला)  
प्रबंध संचालक